तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	~~पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..................को पेश हों।~~
11.8.17	पत्रावली पेश हुई। बहस हेतु अवसर चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8.9.17 को पेश हो
8.9.17	वकील अप्रार्थी अनुपस्थित वास्ते बहस पत्रावली 13-10-17 को पेश हो
13-10-17	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं~~। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 17-11-17 को पेश हों।
12-11-17	वकील अप्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी ने पुनः बहस अवसर चाहा गया न्यायहित में अवसर दिया जाकर बहस नहीं करने की स्थिति में बहस स्वतः ही बन्द होगी वास्ते बहस पत्रावली 24-11-17 को पेश हो
24-11-17	वकील अप्रार्थी उपस्थित बहस जवाब अप्रार्थी सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 8-12-17 को पेश हो

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-12-18	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप. आदेश सुनाया गया प्रा०पत्र खारिज किया जाता है बविस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र सं. -
दायर दिनांक -

पीठासीन अधिकारी - गरिमा नाथ
R.A.S.

उनवान

1. शिव शंकर उम्र 64 वर्ष आत्मज श्री छोटूनाथ जाति नाथ निवासी दरा माता जी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. हरिनारायण उम्र 57 वर्ष आत्मज श्री छोटूनाथ जाति नाथ निवासी दरा माता जी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

-प्रार्थीगण

बनाम

1. गजानन्द आत्मज श्री छोटू नाथ निवासी दरा माता जी तहसील इन्द्रगढ़
2. जगदीश आत्मज श्री छोटूनाथ निवासी दरा माता जी तहसील इन्द्रगढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक - 8.12.17

प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी एक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है - प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 24 खसरा सं. 375 रकबा 0.19 है, खसरा सं. 376 रकबा 0.20 है. खसरा सं. 379 रकबा 0.16 है, खसरा सं. 380 रकबा 0.22 है, खसरा सं. 381 रकबा 0.16 है खसरा सं. 384 रकबा 0.43 है, खसरा सं. 385 रकबा 0.32 है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कथन -

Scanned with CamScanner

खसरा सं. 386 रकबा 0.35 है कुल किता 8 कुल रकबा 2.03 है. वाके ग्राम झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार कृषक है। वादीगण का हिस्सा 1/9 भाग का निहित है प्रमाण नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बाहमी रजामंदी से अपने हिस्से पर अलग-अलग काबिज है। राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नही होने से कृषि भूमि का विकास करने व लगान पिलाई जमा करवाने में कृषि साख सुविधा लेने में परेशानी आती है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को विधिवत बंटवारा कर खाता राजस्व रिकार्ड में अलग करवाने के लिये अप्रार्थियों से कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी बंटवारा करवाने के लिए तैयार नही है। दिनांक 10.09.15 को अप्रार्थीगण ने बंटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया व प्रार्थीगण की कृषि भूमि होने से ही मना कर दिया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है और अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है इससे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थी को कोई नुकसान नही होगा प्रार्थना पत्र पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तार्फैसलावाद जेर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वो प्रार्थना पत्र की वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से 1/9 भाग कृषि भूमि की कृषि काश्त व्यवस्था में बाधा ना पहुँचाए व दखल नही देवे और प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश ना करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 1 बाद तामील नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से इसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र जेर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः.....

Scanned with CamScanner

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया।

नियत पेशी पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में हमें सह खातेदार माना है। आपसी रजामंदी से संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। लेकिन अप्रार्थीगण को विधिवत बंटवारा करने का निवेदन किया गया तो बंटवारा से साफ मना कर दिया। अप्रार्थीगण ने मेरी भूमि होने से ही मना कर दिया। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा-काश्त हो इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जवाब प्रार्थना में अतिरिक्त आपत्ति के सन्दर्भ में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1999 पेज 420 पेश कर कथन किया कि इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि " Petitioner and non-petitioners are cotenants of the land in dispute - Every cotenant - has a right over every inch of land held in co-tenancy but in a suit of partition a cotenant cannot be left to the mercy of other cotenants denying his right as a cotenant on a portion of land in dispute in his possession "

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

अतः उक्त प्रकरण में हम खातेदार हैं तथा अप्रार्थीगण ने हमारा अधिकार होने से ही स्पष्ट इनकार कर दिया है। हमारे पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही साबित होते हैं अतः हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करे व अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि नामान्तकरण एक फिस्कल प्रोसीडिंग है। इससे अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में लगभग 25 वर्ष पूर्व ही अपने हक अधिकार अप्रार्थी के पक्ष में त्याग चुके हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता छोटूनाथ का 1/3 हिस्सा दर्ज है। छोटूनाथ ने अपना 1/3 हिस्सा कल्लू जी गुर्जर निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ को रुपये 2500 की ऋण राशि की एवज में रहन बिल कब्जा रखा था। प्रतिवादीगण ने उक्त ऋण राशि को चुकाने से इन्कार कर दिया अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि चुकाकर उक्त कृषि भूमि में सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का कब्जा प्राप्त किया था तब से 25 वर्षों से उक्त कृषि भूमि में स्वर्गीय छोटूनाथ का 1/3 हिस्से पर एकमात्र अप्रार्थी क्रम 2 साधिकार मालिक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में कहीं भी कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

मेरी अतिरिक्त आपत्ति का कोई उत्तर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने नहीं दिया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस के समर्थन मे न्यायिकदृष्टांत - 2016 (1) RRT पेज 113, 2013 (2) RRT पेज 1058 व 2011-12 (Suppl.) RRT पेज 192 पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः...

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार से है –

प्रथम दृष्टया मामला — जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के ग्राम झीड़ा के मुताबिक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार, दर्ज हैं। सहखातेदारी में एक का कब्जा सबका कब्जा माना जाता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व साक्ष्य में कब्जे के स्पष्ट अंकन नही किया है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि के किन खसरा नं. पर उसका कब्जा है। खसरा गिरदावरी में भी सभी सहखातेदारान दर्ज है अत: सभी का संयुक्त कब्जा है। प्रथम दृष्टया मामला को तय करने के लिये वाद फाईल करने की तारीख को वाद भूमि पर वादीगण का कब्जा होना मुख्य प्रश्न है जिसे खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियों से तय किया जाएगा। खसरा गिरदावरी की प्रविष्टी में सभी सहखातेदारान के नाम दर्ज है। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सहखातेदारी को स्वीकार किया है। अधिकार का प्रश्न धारा 212 के प्रार्थना पत्र में निर्णीत नही किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण अवलोकन द्वारा यह तथ्य प्रार्थी यह साबित करने में असफल हुआ है कि प्रथम दृष्टया वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख की प्रविष्टी के अनुसार दोनो पक्षों का कब्जा है। अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

—क्रमश:..

Scanned with CamScanner

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति – प्रार्थीगण के पक्षमे प्रथम दृष्टया मामला साबित नही हुआ है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी सावित होवे है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner